

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 361]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर 2021—भाद्र 12, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2021

क्र. 11276-261-इकीस-अ(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 सितम्बर 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन् २०२१

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२१

[दिनांक २ सितम्बर, २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३ सितम्बर, २०२१ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, प्रारंभ। २०२१ है।

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा ११ का २. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१)की धारा ११ में,—
संशोधन।

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (१) में, शब्द "कुलाधिपति" के स्थान पर, शब्द "कुलपति" स्थापित किया जाए;

(ख) खण्ड (३) में, शब्द "कुलपति तथा" का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "कुलाधिपति" के स्थान पर, शब्द "कुलपति" स्थापित किया जाए।

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2021

क्र. 11276-261-इककीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 23 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

MADHYA PRADESH ACT
No. 23 OF 2021

**THE MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2021**

[Received the assent of the Governor on the 2nd September 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 3rd September 2021.]

An Act further to amend the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-second year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the **Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2021**. Short title and commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the **Madhya Pradesh Gazette**.

2. In Section 11 of the **Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991** (No. 9 of 1991),— Amendment of Section 11.

(i) in sub-section (1),—

(a) in clause (1), for the word “Chancellor”, the word “Vice-Chancellor” shall be substituted;

(b) in clause (3), the words “Vice-Chancellor and” shall be omitted;

(ii) in sub-section (2), for the word “Chancellor”, the word “Vice-Chancellor” shall be substituted.